


भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में "नर्सिंग अधिकारी" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर  
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.  
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में "नर्सिंग  
अधिकारी"के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपतिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए  
टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी  
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई  
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या [medicalhospital61@gmail.com](mailto:medicalhospital61@gmail.com) पर ई-मेल कर  
सकते हैं।



निर्मल कुमार भगत)  
निदेशक (अस्पताल)

दूरभाष-011 : 23061334

नई दिल्ली  
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2020

सा.का.नि.....- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, परिचर्या अधिकारी, समूह- 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, परिचर्या अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, परिचर्या अधिकारी, समूह - 'ख' पद, भर्ती नियम 2018 की अनुसूची में, पदों की संख्या से संबंधित स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

पदों की संख्या
(2)
1822 * (2020)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

[ए.11018/05/2020.एमएच II]

(प्रेम नारायण)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, परिचर्या अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 को भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में दिनांक 30 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47 द्वारा प्रकाशित किया गया था।